

विषय-सूची			
क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	राज्य की प्राप्तियाँ	1.2	7
5.	राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
6.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	16
7.	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	18
8.	संसाधनों का उपयोग	1.6	18
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	24
10.	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.8	27
11.	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	33
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	38
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	45
14.	राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.12	49
15.	निष्कर्ष	1.13	49
16.	संस्तुतियाँ	1.14	51
अध्याय-2: वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण			
17.	प्रस्तावना	2.1	53
18.	विनियोग लेखों का सारांश	2.2	54
19.	वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन	2.3	56
20.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	64
21.	कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम	2.5	71
22.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	71

23.	सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिलों का लम्बित प्रस्तुतिकरण	2.7(अ)	72
24.	असमाधानित व्यय	2.7(ब)	73
25.	बजट प्रक्रिया	2.8	74
26.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	2.9	75
अध्याय-3: वित्तीय रिपोर्टिंग			
27.	उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	3.1	77
28.	सरकार द्वारा मूलतः वित्त पोषित संस्थानों से संबंधित सूचनाओं की अप्राप्ति	3.2	78
29.	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	78
30.	लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अधीन इन्द्राज	3.4	79
31.	हानि, गबन आदि	3.5	81
32.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य पेंशनरी दायित्वों का प्रभाजन	3.6	81
33.	उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य अनावंटित शेष	3.7	81
34.	निवेश	3.8	81
35.	भारत सरकार के लेखा मानकों (आई जी ए एस) का कार्यान्वयन	3.9	82
36.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.10	82

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1	राज्य की रूपरेखा	85
परिशिष्ट 1.1	भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना भाग ब: वित्त लेखे का प्रारूप	86
परिशिष्ट 1.2	भाग अ: राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि	88
	भाग ब: राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	89
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	92
परिशिष्ट 1.4	भाग अ: वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	95
	भाग ब: 31 मार्च 2019 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	98
परिशिष्ट 1.5	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण	100
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्ययाधिक्य	101
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	101
परिशिष्ट 2.3	कुल व्यय का अंतिम तिमाही (जनवरी 2019 से मार्च 2019) में 50 प्रतिशत या मार्च 2019 में 25 प्रतिशत से अधिक व्यय की तीव्रता	102
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	104
परिशिष्ट 2.5	निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप ₹ 10 लाख की एवं अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी के कारण)/आधिक्य	106
परिशिष्ट 2.6 (अ)	वर्ष 2018-19 के दौरान दत्तमत अनुदान के किए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पण	110
परिशिष्ट 2.6 (ब)	वर्ष 2018-19 के दौरान भारित विनियोग के किए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पण	113
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण	113
परिशिष्ट 2.8	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ एवं अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	114

परिशिष्ट 2.9	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	115
परिशिष्ट 2.10	30/31 मार्च 2019 को दत्तमत्त अनुदान की ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	117
परिशिष्ट 2.11	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी	118
परिशिष्ट 2.12	वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2019 तक) जो वर्ष के अंत तक अप्रतिपूर्ति रही	120
परिशिष्ट 2.13	वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्ति रहा (अगस्त 2019 तक)	121
परिशिष्ट 2.14	वर्ष 2018-19 तक के वर्षों के लम्बित डी सी बिल (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)	122
परिशिष्ट 3.1	बकाए उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अलग से प्रत्येक वर्ष के लिये मुख्य शीर्ष एवं विभागवार विवरण	123
परिशिष्ट 3.2	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	124
परिशिष्ट 4.1	शब्दावली	125